

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

शुद्धि पत्र संख्या - 14/2019-20

क्रमांक : एफ.7(20) भर्ती / V.P. ITI / त.शि./EP-I / 2017-18 / 175

दिनांक : 20.09.2019

आयोग द्वारा जारी सं.वि.सं. 03/भर्ती/V.P. ITI & Group Instructor (प्रा.शि.वि.)/EP-I/2018-19 दिनांक 03.04.2018 एवं शुद्धि पत्र संख्या 22/2018-19 दिनांक 01.10.2018 की पद क्रम संख्या 1 पर उपाचार्य/अधीक्षक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (Vice Principal/Superintendent I.T.I.) के 45 पद विज्ञापित किये गये थे। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 13.02.2019 द्वारा अति पिछड़ा वर्ग को 5 प्रतिशत आरक्षण, अधिसूचना दिनांक 19.02.2019 द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण व अधिसूचना दिनांक 23.01.2019 द्वारा विशेष योग्यजन को 4 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने के क्रम में कार्मिक (क-2) विभाग के पत्र दिनांक 23.06.2019 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार एवं विभाग द्वारा पदों की संख्या में वृद्धि किये जाने के कारण उपाचार्य/अधीक्षक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के कुल 86 पदों हेतु ऑनलाईन आवेदन पुनः आमंत्रित किये जाते हैं तथा इस संबंध में निम्नानुसार अधिसूचित किया जाता है :-

1. उक्त पदों का पदों की संख्या में वृद्धि किये जाने के फलस्वरूप नवीनतम संशोधित वर्गवार वर्गीकरण निम्नानुसार है :-

Post(s) S.No.	No. of Post(s)	U.R.				S.C.			S.T.				B.C.			M.B.C.			E.W.S.						
		सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता				
1	86	24	6	2	0	11	2	1	0	8	2	0	0	14	3	1	0	4	0	0	0	7	1	0	0

Horizontal Reservation: - (a) B/LV - 01, (b) HH - 01, (c) LD/CP - 01, (d) M.I. & M.D. - 01 Ex-serviceman - 04

Abbreviations Used : UR - Unreserved, SC - Scheduled Castes, ST- Scheduled Tribes, BC - Backward Classes, MBC- More Backward Classes, EWS - Economically Weaker Sections, B/LV - Blindness and low vision , H.H. - Deaf and Hard of hearing, LD/CP - Loco motor Disability including Cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy, M.I. - autism, intellectual disability, specific learning disability and mental illness, M.D. - multiple disabilities from amongst persons as shown in (a) to (d) including deaf-blindness in the post identified for each disabilities.

नोट :- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S.) एवं भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षित दर्शाये गये पदों का लाभ राजस्थान राज्य के मूल निवासियों को ही देय है। अन्य राज्य के आवेदकों को उक्त लाभ देय नहीं होने के कारण उन्हें अनारक्षित वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा।

- उक्त पदों हेतु अभ्यर्थी आयोग की वेबसाईट <https://rpsc.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध Apply online link को Select कर एस.एस.ओ. (SSO) पोर्टल पर Login कर Recruitment Portal सर्विस का चयन कर दिनांक 24.09.2019 से दिनांक 08.10.2019 को रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। इसके पश्चात् लिंक निष्क्रिय हो जायेगा।
- ऑनलाईन आवेदन पत्र में संशोधन संबंधी सूचना :-** आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन Submit किये जाने के पश्चात् आवेदक को एस.एम.एस. के जरिए सूचना भेजी जायेगी जिसमें विसंगति होने पर अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन की अवधि के दौरान एवं आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात् 10 दिवस के भीतर त्रुटि संबंधी संशोधन कर सकता है। इसी तरह प्रथम चरण की परीक्षा समाप्त होने के पश्चात् आवेदक को ऑनलाईन आवेदन पत्र में संशोधन हेतु 10 दिन का एक अतिरिक्त अवसर दिया जायेगा जिसके अन्तर्गत विषय/पद, नाम, फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, परीक्षा केन्द्र के अलावा अन्य संशोधन कर सकता है। इस संबंध में अभ्यर्थी आयोग की वेबसाईट <https://rpsc.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध Instructions for Applicants का अवलोकन कर सकते हैं।
- जिन अभ्यर्थियों द्वारा उक्त पदों हेतु आयोग द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 03/2018-19 दिनांक 3.4.2018 के तहत पूर्व में ऑनलाईन आवेदन किया जा चुका है, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है तथा उन्हें पूर्व आवेदन के समय विज्ञापन में उल्लेखित शर्तों की पालना पूरी करने के आधार पर पात्र माना जायेगा। पूर्व में आवेदित अभ्यर्थी अपने ऑनलाईन आवेदन में संशोधन कर सकते हैं।
- जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में आवेदन किया था परन्तु अब अधिसूचना दिनांक 19.02.2019 के आधार पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के तहत आरक्षण हेतु पात्र है, वे अभ्यर्थी अपनी श्रेणी के संबंध में ऑनलाईन आवेदन में संशोधन आवश्यक रूप से कर लें, उनके के लिए ऑनलाईन आवेदन में संशोधन की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध रहेगी।
- आयु, वांछित शैक्षणिक योग्यता, अनुभव इत्यादि के आधार पर अपात्र अभ्यर्थी जो पूर्व में उक्त विज्ञापन के तहत ऑनलाईन आवेदन कर चुके हैं, उन्हें पुनः ऑनलाईन आवेदन करना आवश्यक है।
- इस शुद्धि पत्र के तहत ऑनलाईन आवेदन करने वाले आवेदकों के आयु की गणना नियमानुसार दिनांक 01.01.2020 को आधार मानकर की जायेगी।
- शेष शर्तें पूर्व में जारी विज्ञापन व शुद्धि पत्रों के अनुसार यथावत् रहेगी।

(के.के. शर्मा)
सचिव